न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 22/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/70

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
लक्ष्मी देवी दत्तक पुत्र स्व. गिरधारी पत्नी मेवाराम जाति बलाई, निवासी कटारिया बास, डीडवाना।		1. उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना। 2. अली हसन पुत्र अशरफ खां जाति पठान निवासी आनन्द भवन के सामने डीडवाना। 3. गुलाम हसन पुत्र अशरफ खां जाति पठान निवासी आनन्द भवन के सामने डीडवाना। 4. इस्लाम पत्नी मो. अली 5. आबिदा बानो पुत्री मो. अली पत्नी अयूब 6. जुबैदा पुत्री मो. अली पत्नी मकसुद खां 7. फिरोज खां पुत्र खुशीदा बानो पत्नी मजीद खां समस्त जाति पठान निवासीगण नागौर रोड़, डीडवाना। 8. तहसीलदार डीडवाना।

मुन्तकिली आवेदन पत्र अधीन धारा 235 आर.टी.एक्ट
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना बाबत् राजस्व वाद संख्या 413/2024 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 218/2024 बअनुवान लक्ष्मी देवी बनाम अली हसन वगैरह

उपस्थितः–
1. श्री सैयद अल्ताफ हुसैन वकील प्रार्थी।
2. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील अप्रार्थीगण।

–ःनिर्णयः–

दिनांक : 09.06.2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–

1. प्रार्थीया लक्ष्मी देवी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 413/2024 [illegible] प्रार्थना पत्र संख्या 218/2024 बअनुवान लक्ष्मी देवी बनाम अली हसन वगैरह के नाम से पेश किया हुआ हैं जिसकी तारीख पेशी दिनांक 09.04.2025 को नियत
2. साबिक खसरा नम्बर 443 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा की भूमि सम्वत 2006 से 2022 तक राजस्व अभिलेख में प्रार्थीनी के दत्तक पिता स्व. गिरधारी की खातेदारी व कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

काश्त की भूमि रही तथा सम्वत् 2022 के पश्चात् उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 220 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा हुए तो उसकी खातेदारी राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर एक श्रीमती भूरी बेवा दाउ खां ने अपने नाम करवा ली तथा भूरी व खनी ने आपस में मिली भगत कर एक झुठा प्रार्थना एआरओ डीडवाना के समक्ष दिनांक 31.01.1967 को पेश कर पत्रावली संख्या 3892/67 कायम करवाकर मिलावटी तौर पर दिनांक 25.02.1967 को आपस में राजीनामा कर उक्त खेत की खातेदारी खनी बेवा सांवत खां के नाम दर्ज करवा ली। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही प्रार्थीया के पिता अथवा प्रार्थीया को सूचना नोटिस दिये बिना बाल–बाला दर्ज हुई। जबकि उक्त भूमि पर सदैव से भौतिक कब्जा स्व. गिरधारी के पश्चात् प्रार्थीया का चला आ रहा है। श्रीमती खनी के ला–औलाद फौत होना बता कर अप्रार्थीगण ने बाला–बाला खातेदारी प्राप्त कर ली तथा उक्त गलत खातेदारी के आधार पर कागजी बैचाण करने पर आमदा होने व प्रार्थीया को ऐलानियां धमकी देने के कारण अपने हक स्वामित्व की घोषणा बाबत् न्यायालय सहाक कलेक्टर डीडवाना के समक्ष वाद पेश कर दिनांक 27.12.2024 को स्थगन आदेश प्राप्त किया तथा प्रकरण की पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 27.01.2025 को नियत की गई।

3. अप्रार्थीगण को उक्त स्थगन आदेश की जानकारी होने के पश्चात् दिनांक 09.01.2025 को न्यायालय में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा प्रार्थीया व उसके अधिवक्ता को शीघ्र सुनवाई का नोटिस जारी किये बिना सीधे तौर पर प्रकरण की सुनवाई तिथि दिनांक 27.01.2025 से दिनांक 16.01.2025 को नियत कर दी। अप्रार्थी पक्ष खुले आम कहते फिरे कि हमारी उपखण्ड अधिकारी से सांठ गांठ, मेल मुलाकात है, हम उक्त प्रकरण को खारिज करवाकर स्टे आदेश को अपास्त करवा लेगे।

4. प्रार्थीया को विधि विरूद्ध जाकर अप्रार्थीगण का उपखण्ड अधिकारी विकास मोहन भाटी आर.ए.एस. से मिलीभगत व सांठ गांठ हो जाने का यकीन होने पर उसने रेवेन्यु बोर्ड अजमेर में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या टी.ए./268/2025 लक्ष्मी देवी बनाम विकास मोहन भाटी वगैरह प्रस्तुत किया। जिस पर अप्रार्थीगण की ओर से प्राथमिक आपति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई। जिसमें अप्रार्थीगण की ओर से अभिकथित किया गया कि "मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कारण दर्शित नहीं किया है, जिससे कि न्यायालय जिला कलेक्टर के न्यायालय में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कोई अड़चन हों, केवल अन्तिम पैरा में यह लिख देने से कि जिले से बाहर किसी पीठासीन अधिकारी को प्रकरण मुन्तकिल किया जावे, जिससे जिले में पदस्थापित किसी भी न्यायालय मुन्तकिल किये जाने के आधार समाप्त नहीं हो जाते" तथा माननीय रेवेन्यु बोर्ड अजमेर द्वारा प्राथमिक आपति को दिनांक 08.04.2025 को स्वीकार कर प्रार्थीया का उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र गुणावगुण पर संधारित योग्य नहीं होने से खारिज कर दिया।

5. प्रार्थीया द्वारा उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में जिले से बाहर हेतु धारा 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उपखण्ड अधिकारी विकास मोहन भाटी अप्रार्थी[illegible] में है तथा उन्हे नाजायज प्रलोभन दे रखा है। उक्त प्रार्थना पत्र दिन[illegible] 08.0[illegible]25 को निस्तारित होने के पश्चात् अप्रार्थीगण संख्या 02 [illegible] आरिफ पुत्र अली हसन जाति पठान निवासी आनन्द [illegible] के सामने, डीडवाना उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में गया, जिसको आते जाते हुए प्रार्थीया के [illegible] ने देखा तथा चैम्बर से बाहर आकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

उक्त मोहम्मद आरिफ ने प्रार्थीया के पुत्र को ऐलानियां कहा कि अब तुम लोग कहा जावोगे, हमारा काम उपखण्ड अधिकारी साहब कर देगे, इस फाईल को कोई बचाने वाला नहीं है। अप्रार्थी पक्ष राजनैतिक प्रभावी शाली व घनाड़्य व्यक्ति हैं इस प्रकार अप्रार्थीगण व उसका आम मुख्त्यार, उपखण्ड अधिकारी डीडवाना से विधि विरूद्ध जाकर उक्त प्रकरण का निरतारण करवाने की फिराक में है। जिससे प्रार्थीया को अजहद नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति कतई नकदी में सम्भव नहीं होगी। प्रार्थीया को उपखण्ड अधिकारी डीडवाना से कतई न्याय की उम्मीद नही है।

6. वादग्रस्त खसरा की भूमि प्रारम्भ से ही वादीनी के पिता स्व. गिरधारी बलाई एक अनुसूचित जाति के नाम से दर्ज रही है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 25.01.1955 को लागू हुआ। तत्समय से ही अनुसूचित जाति की कृषि भूमि को स्वर्ण जाति से सुरक्षित व संरक्षित रखने के उक्त अधिनियम में प्रावधान दिये गये है। एक अनुसूचित जाति की कृषि भूमि को स्वर्ण जाति का व्यक्ति धारित नहीं कर सकता। परन्तु पूर्व अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर एक अनुसूचित जाति की खातेदारी की कृषि भूमि को स्वर्ण जाति के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर बिना सुनवाई का अवसर दिये कर दी। वादीनी को ज्ञात होने पर न्यायालय में घोषणा खातेदारी वगैरह का वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। परन्तु उपखण्ड अधिकारी डीडवाना उक्त प्रकरण का निस्तारण विधि के विपरीत जाकर अप्रार्थी पक्ष से अनुचित प्रलोभन लेकर प्रार्थीया अनुसूचित जाति की गरीब निर्धन महिला को उसके हक अधिकारों से महरूम करने का इरादा रखते है। प्रकरण की सुनवाई तिथि दिनांक 09.04.2025 को नियत थी, जिसकी आगामी तारीख पेशी 09.06.2025 को नियत की गई, उक्त तारीख पेशी बदल जाने के पश्चात् प्रार्थीया को बिना सूचना दिये दिनांक 26.04.2025 को नियत कर दी तथा वर्तमान में दिनांक 05.05.2025 को कर दी है। इस कारण प्रार्थीया को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना से किसी भी सुरत में न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थीया अपने वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को जिले डीडवाना–कुचामन के किसी भी उपखण्ड क्षेत्र में अन्तरित करवाना चाहती है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

7. प्रार्थीया प्रकरण में निष्पक्ष पक्ष विचारण व निष्पक्ष निस्तारण चाहती है। किन्तु उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हेए प्रार्थीया को ऐसा अंदेशा हैं कि निष्पक्ष न्याय व निर्णय नहीं होगा और प्रार्थीया के हक अधिकारों के विपरीत न्याय व निर्णय होने की सम्भावना है। इसलिए श्रीमान् के समक्ष उक्त आवेदन पेश करना लाजमी हुआ है।

अतः उक्त आवेदन पेश कर निवेदन हैं कि राजस्व वाद संख्या 413/2024 व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 218/2024 बअनुवान लक्ष्मी देवी बनाम अली हसन वगैरह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के यहां से जिले की किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने का सादर ओदश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 02 ता 07 की तरफ से वकील श्री महेन्द्र खिलेरी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 01 की तरफ से पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त हुई। वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:49 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्षकारान [illegible] वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों [illegible] कि उक्त प्रार्थना पत्र को जिले के किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावें।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीयां ने स्वयं इससे पहले माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया, उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है तथा इसके पश्चात प्रार्थीयां माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय जोधपुर में भी एक रिट पीटीशन दायर की वहां भी माननीय न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन खारिज कर दी गई। इस प्रकार प्रार्थीयां के पास पत्रावली स्थानान्तरण करवाने का कोई ठोस कारण नहीं होने के कारण उक्त दोनों न्यायालयों के प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीयां ने इससे पूर्व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया, उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है तथा इसके पश्चात प्रार्थीयां माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय जोधपुर में भी एक रिट पीटीशन दायर की वहां भी माननीय न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन खारिज कर दी गई। प्रार्थीयां ने न्यायालय में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं बताया जिससे कि प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जा सके। बिना ठोस आधारों के प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:49 IST
Reason: SelfAttested